झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-48/2017-18/ 01 /मत्स्य, राँची, दिनांक 15.4.17

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) -मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता अंतर्गत योजनाएँ (SCASP) में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत राज्यांश मद से मो0 13.02 लाख (तेरह लाख दो हजार) रू0 मात्र की लागत पर सामूहिक बीमा योजना की अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि सामान्य राज्यादेश सं0-01 दिनांक 07.04.2016 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0-75 दिनांक 07.04.2016 के कम में राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं0 185 दिनांक 11.4.17 के अनुसार राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता अंतर्गत योजनाएँ (SCASP) में सामूहिक बीमा योजना (राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना अन्तर्गत सकिय मछुआरों के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा) के अंतर्गत मो0 13.02 लाख (तिरह लाख दो हजार) रु0 मात्र राज्यांश की लागत पर कुल 1,28,000 सकिय मछुआरों के सामूहिक बीमा के लिए अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस योजना का आधा व्यय भार राज्य सरकार द्वारा एवं आधा व्यय-भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तद्नुसार राज्य योजना से मो0 13.02 लाख (तिरह लाख दो हजार) रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे। केन्द्र सरकार राज्यांश के समतुल्य अपने अंशदान की राशि फिश्कोपफेड (FISHCOPFED), नई दिल्ली को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की नोडल एजेंसी है।

3. विभिन्न तीन लघु शीर्ष वार उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में राज्यांश मद अंतर्गत निम्न रुप से राशि की स्वीकृति व्यय हेतु प्रदान की जाती है- (राशि लाख रू0 में)

	मॉग सं0-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1.	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **विपत्र कोड-53S240500789210759**	2.00	1.63
2.	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **विपत्र कोड-53S240500796210759**	4.00	3.99
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-21-सामूहिक बीमा योजना विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय **विपत्र कोड-53S240500101210759**	10.00	7.40
	कुल योग :	16.00	13.02

कुल स्वीकृत राशि मो0 तेरह लाख दो हजार रुपये मात्र ।

4.(क) दिये गये भौतिक लक्ष्य के अनुरुप प्राप्त आवंटन के माध्यम से राज्यांश मद की राशि की निकासी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड रॉची द्वारा डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। एक मुश्त राज्यांश मद की राशि निदेशक मत्स्य निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फिश्कोपफेड, नई दिल्ली को मुहैया करा देंगे।

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

5. जिलावार, लघुशीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:-

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय		लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय		लघु शीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय		कुल भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं0 में)		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं0 में)		प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (सं0 में)				
		राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश
1	रॉची	700	700	1400	1400	1500	1500	7200	0.73	0.73
2	खूँटी	300	300	1000	1000	1100	1100	4800	0.49	0.49
3	गुमला	400	400	1200	1200	1200	1200	5600	0.57	0.57
4	सिमडेगा	300	300	1000	1000	1000	1000	4600	0.47	0.47
5	लोहरदगा	300	300	800	800	1000	1000	4200	0.43	0.43
6	लातेहार	300	300	1000	1000	1000	1000	4600	0.47	0.47
7	प0सिंहभूम	400	400	1100	1100	1200	1200	5400	0.55	0.55
8	पू0सिंहभूम	400	400	800	800	2100	2100	6600	0.67	0.67
9	सरायकेला	400	400	1300	1300	2600	2600	8600	0.87	0.87
10	दुमका	400	400	1000	1000	2500	2500	7800	0.79	0.79
11	जामताड़ा	400	400	600	600	1500	1500	5000	0.51	0.51
12	साहेबगंज	400	400	800	800	1500	1500	5400	0.55	0.55
13	पाकुड़	300	300	600	600	1500	1500	4800	0.49	0.49
14	हजारीबाग	400	400	900	900	2500	2500	7600	0.77	0.77
15	रामगढ़	200	200	400	400	1000	1000	3200	0.33	0.33
16	कोडरमा	400	400	600	600	1500	1500	5000	0.51	0.51
17	चतरा	200	200	500	500	1100	1100	3600	0.37	0.37
18	बोकारो	200	200	500	500	1500	1500	4400	0.45	0.45
19	गिरिडीह	200	200	500	500	1200	1200	3800	0.39	0.39
20	धनबाद	300	300	600	600	1200	1200	4200	0.43	0.43
21	गोड्डा	200	200	600	600	1200	1200	4000	0.41	0.41
22	पलामू	200	200	600	600	1500	1500	4600	0.47	0.47
23	गढ़वा	200	200	800	800	1500	1500	5000	0.51	0.51
24	देवघर	500	500	1000	1000	2500	2500	8000	0.81	0.81
	योग:	8000	8000	19600	19600	36400	36400	128000	13.02	13.02

01
15/4/17

5. सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्रांक 27035/19/2015-एफ0वाई0 (IV) Vol. II जून, 2016 के आलोक में प्रति मछुआरा वार्षिक प्रीमियम 20.34/-रु0 (बीस रुपये चौंतीस पैसे) है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाता है। बीमित की मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा उसके आश्रित को मो0 2.00 लाख रु0 की बीमा राशि तथा स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा मो0 1,00,000/- रु0 का भुगतान किया जाता है।

इस योजना में राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्य जीवी सहयोग समिति या मत्स्य जीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर पर, प्रमण्डल स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक अथवा मत्स्य मित्र हों।

6. मत्स्य निदेशालय के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

7. मत्स्य निदेशालय के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पम्पलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

8. पूर्व की भाँति जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी घोषित रहेंगे, जिनके द्वारा बीमित का दावा प्राप्त करने हेतु कागजात विहित प्रपत्र में संधारित कर निदेशक मत्स्य के माध्यम से फिश्कोफ्फेड को भेजा जायेगा।

9. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट-उपबंध के अंतर्गत है।

10. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यांश 50 प्रतिशत एवं केन्द्रांश 50 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस चालू योजना हेतु भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ, मर्यादित 62 ए0/2014-15/1012 दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने हेतु योजना स्वीकृत है, साथ ही जी0ओ0आई0 के पत्रांक 12035/01/2014- एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 25.05.2015 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रशासनिक स्वीकृति के तहत् राज्यांश मद की प्रिमियम की राशि की की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फिश्कोफ्फेड, नई दिल्ली को मुहैया करा देंगे। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा सीधे फिश्कोपफेड को विमुक्त की जाती है।

11. योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

12. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत बजट उपबंध राज्यांश मो0 15.00 लाख मात्र में से वास्तविक व्यय राज्यांश अंतर्गत मो0 12.79 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।

01
15/4/17

13. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 -01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

14. वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के पश्चात् आवंटन निर्गत किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत होगा।

16. इस योजना के कार्यान्वियन के कम में भारत सरकार द्वारा निरुपित मार्गदर्शिका में निहित शर्त्तों तथा समय-समय पर दिये गये निदेशों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

17. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में 1 अप्रैल, 2017 के पश्चात् वित्त विभाग से बजट में उपबंधित राशि के व्यय हेतु निर्गत सामान्य आदेश के आलोक में की जायेगी।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

15/5/17

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01 मत्स्य / राँची , दिनांक 15.4.17

प्रतिलिपि निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची /संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुंसधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग /प्रमंडलीय आयुक्त (सभी) /उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) /प्रबंध निदेशक, फिशकोपफेड, नई दिल्ली/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/5/17

सरकार के सचिव